

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2017—आषाढ 2, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2017

क्र.-डी-15-31-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145-13, दिनांक 9 जून 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति अशोकनगर के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को नवीन मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम पंचायत मलखेड़ी/मोहरीराय, तहसील अशोकनगर, जिला अशोकनगर के निम्नलिखित सर्वे क्रमांक की 28.055 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	सर्वे क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (3)
1	मलखेड़ी- 1. 302 मिन	2.275
	2. 302/312	2.466
	3. 305 मिन	2.299
	4. 306 मिन	0.451
	5. 307	0.418
	6. 307/313	1.839
		09.748
2	मोहरीराय- 1. 5	4.434
	2. 6	2.508
	3. 7	2.090
	4. 8	2.546
	5. 10	4.997
	6. 11	1.732
		18.307
कुल योग :		28.055

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—अशोक नगर—आरोन रोड

दक्षिण में—नाला/ग्राम मोहरीराय

पूर्व में—अशोकनगर—तुमैन रोड

पश्चिम में—शासकीय भूमि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2017

क्र.-डी-15-31-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जून 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd June 2017

No. D-15-31-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Ashoknagar has been established by this department's Notification No. 145-13, dated 9th June, 1953 shall be the Newlly market yard, namely :—

PLACE

An area of 28.055 Hectors land of below Mentioned Sarvey number at Gram Panchayat Malkhedi/Mohri Ray in Tehsil Ashoknagar of District Ashoknagar.

S. No. (1)	Survey No. (2)	Area (In Hectors) (3)	
1	Malkhedi-	1. 302 Min	2.275
		2. 302/312	2.466
		3. 305 Min	2.299
		4. 306 Min	0.451
		5. 307	0.418
		6. 307/313	1.839
		Total :	09.748
2	Mohri Ray	1. 5	4.434
		2. 6	2.508
		3. 7	2.090
		4. 8	2.546
		5. 10	4.997
		6. 11	1.732
		18.307	
All Total :		28.055	

BOUNDED BY

On the North by—Ashoknagar-Aron Road
On the South by—Naala & Gram Mohri Ray
On the East by—Ashoknagar-Tuman Road
On the West by—Government Land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2017

क्र.-डी-15-31-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जून 2017 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र अशोकनगर, जिला अशोकनगर के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है :—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत मलखेड़ी/मोहरीराय, तहसील अशोकनगर, जिला अशोकनगर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

1. रूसल्ला बुजुर्ग, 2. भौरा काछी, 3. भौरा खाती, 4. इटवा, 5. बनयाई, 6. मलखेड़ी, 7. मोहरी राय, 8. अम्हाई पछार, 9. सिकन्दरा, 10. मढ़ी तुमैन, 11. नगेश्री, 12. इंग्लेखेड़ी, 13. पंवारगढ़, 14. अशोकनगर, 15. शंकरपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2017

क्र.-डी-15-31-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जून 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd June 2017

No. D-15-31-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard declare vide this department's notification even number dated 23rd June 2017 the following area of Ashoknagar of District Ashoknagar shall be market yard, namely :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat at Malkhedi/Mohri Ray in Tehsil Ashoknagar of District Ashoknagar.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard, namely:—

1. Rusalla Bujurg, 2. Bhoura Kachhi, 3. Bhoura Khati, 4. Itwa, 5. Banyayi, 6. Malkhedi, 7. Mohri Ray, 8. Amhai Pachhar, 9. Sikandra, 10. Madhi Tuman, 11. Nagreshri, 12. Inglekhedi, 13. Pawargarh, 14. Ashoknagar, 15. Shankarpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.